हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील प्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थीगण/आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किये जाते है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जारी स्थगन आदेश में प्रार्थी राजपाल पुत्र नवल किशोर जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को बादयस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1462 से 1464, 1469 से 1479 तन् ग्राम ढाणी डैरावाली तहसील श्रीमाधोपुर में मृतक नवल किशोर के विधिक वारिसों का नामान्तकरण दर्ज किये जाने एंव किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान प्रदान की जाती है। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 अप्रार्थी संख्या 1 पत्रावली दिनांक 27.03.2023 को पेश हो। 17/01/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
17.02.2023	वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह खर्रा एड0 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 27.03.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी भगवान सहाय पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढाणी गंगाबक्श वाली तन् कल्याणपुरा [illegible] से श्री महेन्द्र सिंह खर्रा एड0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार [illegible] प्रार्थी के हिस्से की भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने व अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग किये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान किये जाने का निवेदन किया। जिसकी नकल प्रार्थीगण वकील श्री सुदेश सामोता एड0 को दिलाई जाने पर उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का स्वीकार किये

- लगातार -

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 11:42:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरजमल बनाम फूडाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः वकील प्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थी भगवानसहाय पुत्र बोदूराम जाट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किये जाते है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जारी स्थगन आदेश में प्रार्थी भगवान सहाय पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी गंगाबक्श वाली तन् कल्याणपुरा को वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1462 से 1464, 1469 से 1479 तन् ग्राम ढ़ाणी डैरावाली तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने व अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग किये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान की जाती है। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 अप्रार्थी संख्या 1 पत्रावली दिनांक 27.03.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.03.14 11:42:41 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	